राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
परिवहन विभाग
5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली–110054

सं एफ19(04)/परि0वि0/सचि0 शा0/2019/112627 दिनांक– 17.12.2023

सेवा में,

उप–सचिव(प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विषय– दिनांक 18.12.2023 को सदन की बैठक में जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 84

महोदय,

विधान सभा के पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ संलग्न हैं।

यह माननीय परिवहन मंत्री के पूर्व अनुमोदन से जारी हुआ है।

आर॰ रामानाथन
(आर0 रामानाथन)
उपायुक्त(सचि0)
R. RAMANATHAN
Deputy Commissioner

Scanned with OKEN Scanner

विभाग का नाम – परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता – 5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या 84

सदस्य का नाम – श्री संजीव झा

दिनांक – 18/12/2023

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क. सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि स्थानीय विधायक द्वारा दिनांक 16.06.2022 को डीटीआईडीसी के सहायक महाप्रबन्धक को बुराड़ी विधानसभा में विधायक निधि से 2 नए बस स्टैंड बनाने का पत्र लिखा गया था;	जी हाँ।
ख)	यदि हाँ, तो पिछले 1.5 साल के दौरान विभाग के द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई, पूर्ण विवरण दें;	इस दौरान उपरोक्त बस स्टैंड का एस्टीमेट पूर्व की भांति माइल्ड स्टील मैटेरियल का तैयार कर लिया गया था, परंतु यह निर्णय लिया गया कि पूरे दिल्ली में एक ही मैटेरियल यथा स्टेनलेस स्टील एवं एक ही डिजाइन के बस क्यू शेल्टर का निर्माण कराया जाए, जिससे कि एक समरूपता प्राप्त हो एवं अत्यधिक टिकाऊ रहे। तदोपरांत पुनः 5 बस क्यू शेल्टर के निर्माण के लिए 65 लाख 59 हजार 925 रूपये का एस्टीमेट तैयार करके अर्बन डबलपमेंट को अनुमोदन एवं भुगतान के लिए दिनांक 15.12.2023 को भेज दिया गया है।
ग)	क्षेत्रीय विधायक के द्वारा अनुरोध किये जाने के पश्चात डीटीआईडीसी के द्वारा नए बस स्टैंड का एस्टीमेट तैयार करने तथा टेंडर करने में कितना समय लगता है;	एस्टीमेट तैयार करने के उपरांत अर्बन डबलपमेंट विभाग को अनुमोदन एवं भुगतान के लिए भेजा जाता है। अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात एक महीने में टेंडर की प्रकिया पूरी कर ली जाती है।
घ)	क्या यह सत्य है कि बुराड़ी विधानसभा में लगने वाले इन दोनों बस स्टैंड का एस्टीमेट तैयार करने में डीटीआईडीसी ने आवश्यकता से अधिक समय लगाया है; और	DTIDC द्वारा पूर्व में एस्टीमेट अविलम्ब तैयार कर लिया गया था परंतू मैटेरियल और डिजाइन को समुचित विचार–विमर्श करके फाइनल किया गया है जिसमें कुछ समय लगा।
ङ)	ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है?	उपरोक्तानुसार

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

(आशीष कुन्द्रा)
प्रमुख सचिव सह आयुक्त (परिवहन)
विभागाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner